

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17-टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	Recommended for approval <i>[Signature]</i>
--	---

दिनांक:- 3/4/18
स्थान:- Lucknow

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य सहायक, नोडल अफि
वन (संरक्षण) अधिनियम-19
उ0प्र0, लखनऊ

सरकारी मोहर